## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3093–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 9–7–2015 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक, रायसेन प्रकरण कमांक 48/अ–12/2014–15.

---

लियाकत अली पुत्र ऐजाज अली
निवासी ग्राम गोपालपुर
तहसील व जिला रायसेन
.....आवेदक

**विरूद्ध**

1– चतुर नारायण पुत्र गंगासिंह बघेल यादव
2– अशोक विश्वकर्मा पुत्र भगवान सिंह विश्वकर्मा
3– सीताराम पुत्र कुमेरसिंह पाल
निवासीगण ग्राम गोपालपुर
तहसील व जिला रायसेन
.....अनावेदकगण

---

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, आवेदक
श्री ओ0पी0 शर्मा, अभिभाषक, अनाबेदक कमांक 1
श्री के0के0 द्विवेदी, अभिषक, अनावेदक कमांक 2 एवं 3

---

**:: आ दे श ::**

**(आज दिनांक 15/6/16 को पारित)**

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक, रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–7–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 चतुर नारायण द्वारा कलेक्टर, रायसेन को इस आशय आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि गोपालपुर स्थित सर्वे कमांक 1/1/2 रकबा 7–73 एकड़ भूमि का सीमांकन अधीक्षक, भू–अभिलेख के नेतृत्व में

गठित दल की देख–रेख में करवाय जाये । अधीक्षक भू–अभिलेख के नेतृत्व में गठित दल द्वारा दिनांक 3–6–15 को सीमांकन किया जाकर सीमांकन प्रतिवेदन कलेक्टर को भेजा गया, तदोपरांत अधीक्षक, भू–अभिलेख द्वारा सीमांकन प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु राजस्व निरीक्षक, रायसेन को भेजा गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण क्रमांक 48/अ–12/2014–15 दर्ज कर दिनांक 9–7–2015 को आदेशिका लिखी जाकर प्रकरण में और कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से प्रकरण समाप्त किया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन नियमों के अनुसार मेड़िया कृषकों को सूचना पत्र दिया जाना आवश्यक है, किन्तु पड़ोसी कृषकों को कोई सूचना नहीं दी गई है । यह भी कहा गया कि सीमांकन में अनावेदक क्रमांक 1 की भूमि में आवेदक का अवैध कब्जा होना पाया गया है, जबकि वास्तव में आवेदक द्वारा अनावेदक की भूमि पर किसी भी प्रकार से कोई अवैध कब्जा नहीं किया है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा वर्ष 2010 में भी सीमांकन करवाया था, जिसे तहसीलदार द्वारा निरस्त किया गया है, क्योंकि उक्त सीमांकन स्थाई सीमा चिन्हों को आधार मानकर नहीं किया गया था ।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन दल द्वारा विधिवत प्रकिया का पालन करते हुए सीमांकन किया गया है । उनके द्वारा राजस्व निरीक्षक का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ अनावेदक क्रमांक 2 एवं 3 के विद्वान अभिभाषक द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों को समर्थन दिया गया ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । राजस्व निरीक्षक के सीमांकन प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि सीमांकन कार्यवाही में आवेदक को सूचना पत्र की तामीली नहीं हुई है, क्योंकि प्रकरण में इस संबंध में कोई प्रमाण नहीं है कि सीमांकन कार्यवाही में आवेदक पर सूचना पत्र की तामीली हुई है । सीमांकन पंचनामा में भी आवेदक की उपस्थिति नहीं दर्शायी गई है । इसके अतिरिक्त सीमांकन प्रतिवेदन में उल्लेख है कि आवेदक द्वारा किये गये अवैध कब्जे को नक्से में लाल रंग से ए.बी.सी. दर्शाया गया है, जबकि नक्से में लाल रंग से ए.बी.सी.

अंकित नहीं है । स्पष्ट है कि सीमांकन कार्यवाही विधिवत नहीं की जाकर सीमांकन आदेश पारित किया गया है, जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक, रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–7–2015 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर